राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आ दे श ::

बद्री प्रसाद बनाम् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व अन्य.

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 1092/1995
अन्तर्गत अनुच्छेद 226, भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक:- दिसम्बर 07,2006.

उ प स्थि त
माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

सुश्री पूर्णिमा शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री एम.एल. गोयल, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

(1) विवादित भूमि सम्वत् 2010 से 2013 तक मंदिर श्री बिहारी जी महाराज जरिये बद्री प्रसाद पुजारी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो बाद में बाबू पुत्र चेनू कुम्हार के नाम बदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई, जिसे प्रार्थी बदरी प्रसाद पुत्र नहारिया ने बाबू पुत्र चेनू से 20,000/-रूपये, में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर लिया। तहसीलदार, धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश, धौलपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा-82 के अन्तर्गत इसके सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि मंदिर श्री बिहारी जी महाराज की खातेदारी की भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा बाबू पुत्र चेनू कुम्हार के नाम दर्ज कर दी गई है जिसमें संशोधन आवश्यक है। राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक-28.1.1992 द्वारा जिलाधीश, धौलपुर का उक्त रेफरेंस स्वीकार कर लिया और विवादित भूमि मंदिर श्री बिहारी जी महाराज की खातेदारी में दर्ज करने के निर्देश दे दिए। प्रार्थी को जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने एक पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक-17.8.1994 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया कि जिलाधीश, धौलपुर ने प्रार्थी को राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष 28.1.1992 को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे और उक्त नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया था, किन्तु प्रार्थी 28.1.1992 को राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित

नहीं हुआ तथा चूंकि सम्वत् 2010 से 2013 के राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के नाम दर्ज थी, ऐसी स्थिति में जबकि विवादित भूमि मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के नाम दर्ज थी, जो कि शास्वत नाबालिग है, पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। राजस्व मण्डल,अजमेर के उक्त निर्णय दिनाक- 17.8.1994 को प्रार्थी ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

(3)विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क दिया है कि प्रार्थी विवादित भूमि का सद्भावी क्रेता (Bona fide purchaser) है।प्रार्थी ने विवादित भूमि बाबू पुत्र चेनू कुम्हार से 20,000/-रूपये में, जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि पर कोई मंदिर स्थापित नहीं है।

(4) रिट याचिका में इस प्रकार के तर्कों को विवेचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि रिट याचिका का क्षैत्राधिकार अपील के क्षेत्राधिकार की तरह नहीं होता है। वैसे भी प्रार्थी, जो कि विवादित भूमि का सद्भावी क्रेता है, को विवादित भूमि क्रय करने से पूर्व उक्त भूमि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मंदिर की भूमि पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। यदि बाबू ने मंदिर की भूमि का विक्रय प्रार्थी के पक्ष में कर दिया है तो प्रार्थी के पास विधिक उपचार उपलब्ध है और वह उचित समझे तो बाबू के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर सकता है। प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष रिट याचिका में याचित किया गया है वह उसे प्रदान नहीं किया जा सकता। इस रिट याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

(5) परिणामत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना- अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)